समक्ष: ए.एल. बाहरी और वी.के. बाली, माननीय न्यायमूर्ति

आनंद प्रकाश,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

1991 की संशोधित सिविल रिट याचिका संख्या 11936।

7 जनवरी 1992.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226–पदावनति–याचिकाकर्ता को परिवीक्षा पर एक वर्ष के लिए पदोन्नत किया गया–पदोन्नत पद पर कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया– वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई– परिवीक्षार्थी को पदावनत करने के लिए अधिकारियों को ए.सी.आर. दर्ज करने के लिए प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं। - पदावनति उचित।

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता के अधीक्षण अभियंता के रूप में कार्य के पिछले वृतांत को भी कार्यालय नोट में देखा गया था और मुख्य अभियंता के रूप में याचिकाकर्ता के बाद के काम और आचरण पर भी विचार किया गया था। अंततः, अधिकारियों ने परिवीक्षा अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को पदावनत करना उचित समझा। जाहिर तौर पर जिस समय पदावनति का आदेश पारित किया गया, उस समय ए.सी.आर रिकार्ड कर दिया गया था, लेकिन ए.सी.आर. पर विचार नहीं किया गया। एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि अधिकारियों को ए.सी.आर. दर्ज करने के लिए नियमित रूप से प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं माना जाता है तो उसे पदोन्नति पद से पदावनत किया जा सकता है। हमारा सुविचारित मत है कि जिस प्रकार

के आरोपों पर 21 मई 1991 को मुख्य प्रशासक द्वारा ध्यान दिया गया और जिनसे उच्च अधिकारी सहमत थे, पदावनति की कार्रवाई पूरी तरह से उचित थी। **(पैरा 5)**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका, प्रार्थना करते हुए कि, यह माननीय न्यायालय रिकॉर्ड मंगवाने के लिए और उसके अवलोकन के बाद कृपा करें: -

(i) 31 जुलाई, 1991 के पदावनति के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की एक रिट जारी करें (अनुलग्नक पी-4 और अनुलग्नक पी-5)

(ii) उत्तरदाता को याचिकाकर्ता की पदावनति से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करे;

(iii) उत्तरदाता बोर्ड को उत्तरदाता संख्या 4 को उसके मूल विभाग में वापस भेजने का निर्देश दें;

(iv) उत्तरदाता बोर्ड को याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ मुख्य अभियंता के पद पर बहाल करने का निर्देश देना;

(v) अग्रिम नोटिस दाखिल करने और अनुबंधों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट;

(vi) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जो माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे;

(vii) रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जाए।

याचिकाकर्ता के लिए जे.एन. कौशल, वरिष्ठ अधिवक्ता और वी. के. शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरदाता संख्या 2 के लिए आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुनिध कश्यप, अधिवक्ता और आलोक जैन, अधिवक्ता।

उत्तरदाता संख्या 4 के लिए राजीव आत्मा राम, अधिवक्ता, और पुनित कंसल, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं संख्या 1 और 3 के लिए वी.के. जैन, अतिरिक्त. ए.जी. हरियाणा।

निर्णय

एल बहरी, न्यायमूर्ति.

आदेश अनुलग्नक पी-1 के अनुसार आनंद प्रकाश को 5 दिसंबर, 1990 को मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था, और एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा गया था। दिनांक 31 जुलाई 1991, अनुलग्नक पी-4 आदेश के तहत वह अधीक्षक इंजीनियर के अपने मूल पद पर पदावनत कर दिया गया। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। तर्क दिया गया कि यह कार्रवाई उनके अधीक्षण अभियंता के रूप में काम करने के दौरान उनके आचरण के संबंध में कुछ आरोपों के कारण आरोप-पत्रों, अनुलग्नकों पी-2 और पी-3 के आधार पर की गई थी और पदावनति का आदेश सरल ना होकर एक सज़ा के तौर पर दिया गया। लिखित बयान में आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा उठाया गया रुख यह है कि मुख्य अभियंता के रूप में काम करने के दौरान याचिकाकर्ता के काम और आचरण को ध्यान में रखते हुए पदावनति का आदेश पारित किया गया है। आरोप पत्रों, अनुलग्नक पी-2 और पी-3 के आधार पर कार्रवाई नहीं की गई। चूंकि कुछ विवादित तथ्य उठाए गए थे, इसलिए रिकॉर्ड मंगाए गए। आधिकारिक उत्तरदाताओं ने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। इन अभिलेखों की मुख्य विशेषताओं पर संक्षेप में ध्यान दिया जाए।

(3) वर्ष 1990-91 की ए.सी.आर. की शुरूआत 10 जुलाई 1991 को निदेशक श्री एन के जैन ने की जिसको कृषि आयुक्त द्वारा देखा और स्वीकृत किया गया।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जगन नाथ कौशल का तर्क यह है कि पदावनति का आदेश दंड के रूप में पारित किया गया क्योंकि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता

द्वारा कथित तौर पर की गई कुछ गलतियों पर विचार किया था जब याचिकाकर्ता अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत था। ए.सी.आर. की रिकॉर्डिंग के संबंध में यह कहा गया है कि इसे पदावनित का आदेश पारित होने के बाद लिखा गया और बाद में इसमें तारीखें बदली गईं। ए.सी.आर. में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में याचिकाकर्ता को एक अवसर दिया जाना चाहिए था। ताकि याचिकाकर्ता अभ्यावेदन दायर करके इसे चुनौती दे सके; ए.सी.आर. सितंबर 1991 के महीने में संसूचित किया गया था और ए.सी.आर. संप्रेषित करने का उद्देश्य संबंधित अधिकारी को सुधार करने का अवसर देना था। इस विवाद के समर्थन में **बृज मोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राजय**[1] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज़ोर दिया गया। हमने इन तर्कों पर उचित विचार किया है। *बृजमोहन सिंह चोपड़ा* के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उसमें दिए गए सिद्धांत को परिवीक्षा पर पदावनत किए गए व्यक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को इस प्रकार निर्धारित किया:'-

"जब भी सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है तो इसकी सूचना उसे अवश्य दी जानी चाहिए। इस संचार का अंतर्निहित उद्देश्य कर्मचारी को अपने काम और आचरण में सुधार करने और उन प्रविष्टियों के खिलाफ संबंधित प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करना है। यदि ऐसा कोई अभ्यावेदन किया जाता है तो यह जरूरी है कि प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की दृष्टि से अभ्यावेदन पर विचार करना चाहिए कि प्रतिकूल प्रविष्टियाँ उचित है या नहीं। अभ्यावेदन देना एक सरकारी कर्मचारी के लिए एक मूल्यवान अधिकार है और यदि अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाता, तो यह निश्चित रूप से उसके सेवा आजीविका को प्रभावित करेगा, क्योंकि सरकारी सेवा में वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अंततः समय से पहले सेवानिवृत्ति सभी की जांच सेवा अभिलेख पर निर्भर करती है। गोपनीय रोल में प्रतिकूल रिपोर्ट

[1] ए आई आर 1987 एस सी 948।

पर पदोन्नति के अवसरों से इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि इससे संबंधित व्यक्ति को सूचित नहीं किया जाता ताकि उसे अपने काम और आचरण में सुधार करने या परिस्थितियाँ (जिन पर रिपोर्ट आधारित है) को समझाने का अवसर मिल सके। यही विचार उस मामले पर भी लागू होना चाहिए जहां किसी कर्मचारी को समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त करने में प्रतिकूल प्रविष्टियों को ध्यान में रखा जाता है।"

चूँकि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति के पदावनति के आदेश को आम तौर पर सजा का आदेश नहीं माना जाता है, बृज मोहन चोपड़ा के मामले में उपरोक्त टिप्पणियाँ लागू नहीं होंगी।

(5) प्रस्तुत रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता के अधीक्षण अभियंता के रूप में काम करने के पिछले वृतांत को भी कार्यालय नोट में देखा गया था और मुख्य अभियंता के रूप में याचिकाकर्ता के बाद के काम और आचरण पर भी विचार किया गया था। अंततः अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को परिवीक्षा अवधि के दौरान पदावनत करना उचित समझा। जाहिर है उस समय पदावनति का आदेश पारित किया गया। ए.सी.आर. दर्ज की गई थी लेकिन ए.सी.आर. पर विचार नहीं किया गया। एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि अधिकारियों को ए.सी.आर. दर्ज करने के लिए नियमित रूप से प्रतीक्षा करनी चाहिए अगर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को पद पर बनाए रखने के लिए यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं माना जाता।यह सच है कि मुख्य प्रशासक द्वारा 21 मई, 1991 को तैयार किए गए नोट के अनुसार, परिवीक्षा अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को पदावनत करने की कार्रवाई शुरू करते समय याचिकाकर्ता के अधीक्षण अभियंता के रूप में काम करने से संबंधित कुछ मामलों पर भी ध्यान दिया गया था। लिखित बयान में उत्तरदाता ने कहा कि याचिकाकर्ता की प्रतिकूल रिपोर्टें उस समय अधिकारियों के ध्यान से बच गईं जब उन्हें पदोन्नत किया गया था। यह अकेला तथ्य उत्तरदाता को याचिकाकर्ता की पदावनत करने से नही रोक सकता, खासकर तब जब मुख्य अभियंता के रूप में उनके कामकाज को विवादित आदेश पारित करने

समय विस्तार से ध्यान में रखा गया हो। याचिकाकर्ता के अधीक्षण अभियंता के रूप में कार्य करने से संबंधित जो मामले कार्यालय नोटिंग में दर्ज किए गए, वे ऐसे मामले नहीं थे जो पदोन्नति के बाद प्रकाश में आए। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, ऐसी नोटिंग उपलब्ध थी, तथापि, नोटिस से बच गई। कोई दंडात्मक परिणाम नहीं निकलता। आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा आज अदालत में जो रिकॉर्ड पेश किया गया है, उसे देखने के बाद, हमारी सुविचारित राय है कि 21 मई, 1991 को मुख्य प्रशासक द्वारा जिस तरह के आरोपों पर ध्यान दिया गया था और जिनसे उच्च अधिकारी सहमत थे, पदावनित की कार्रवाई पूरी तरह से उचित थी। ऐसा होने पर, यह इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका को तत्काल खारिज किया जाता है। लागत पर कोई आदेश नही। रिकॉर्ड वापिस भेजा जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला, हरियाणा

आई एल आर पंजाब और हरियाणा (1993) 1 (283-287)